

क्षेत्रफल 0-510 हे०, किंमती तीर्णत, दर 65,00,000/- रूपीत हे०, विधिगत आरात्री जाबादी से तटी हुई है। मूल्य सूची के पृष्ठ-62 के पीछीठ-1010 के अनुसार।
 मीहला देताई

104

दस्तावेज का विलविल मं०

यह लेखपत्र आज दिनांक 9-5-14 को संलग्न परिशिष्ट में अंकित विवरणानुसार रु० 1,59,750/- ✓
 के कुल स्टाम्प 39 पनों पर विक्रीत सम्पत्ति के बाजारी मूल्य कुल रु०
 पर अदा करते हुए श्री 33,90,000/-

नीमती गजाता उकरम पत्नी श्री मी० उकरम जी जाती पठान निवासी मीहला
 कोट पूर्वी नवाबान तथा व तहसील हसनपुर जिला अमरीहा। व मी० उकरम जी
 पुत्र श्री मी० अफजलजी जाती पठान निवासी कोटपूर्वी नवाबान तथा व तहसील
 हसनपुर जिला अमरीहा।

(विक्रेता प्रथम पक्ष)

ने रुपये 26,00,000/- [छहवीं लाख रुपये]
 कि जिसके आधे रुपये 13,00,000/- [तेरह लाख रुपये]
 होते हैं प्रतिफल के बदले में श्री नसीमा खानम पुत्री श्री सम० ए० खान निवासी 193 गामाप्रथम
 ग्रेटर नोखा जिला गीतनकुन्दनार जाती पठान।

(क्रेता) द्वितीय पक्ष

शाहपुर इला
 के इक में ग्राम तहसील हसनपुर
 जिला अमरीहा स्थित सम्पत्ति जिसका पूर्ण विवरण संलग्न प्रिन्टेड प्रोफार्मा के परिशिष्ट में दिया गया है सम्बन्ध
 में निम्नलिखित किया

जो कि (विक्रेता) प्रथम पक्ष निम्नलिखित सम्पत्ति का पूर्ण स्वामी है, और वह उस पर काबिज है। यह सम्पत्ति
 हर प्रकार के ब्रह्म-भार, विवाद एवं बन्धन आदि से मुक्त है तथा इसको विक्रय करने का (विक्रेता) प्रथम पक्ष को पूर्ण
 अधिकार प्राप्त है अतः (विक्रेता) प्रथम पक्ष अपनी स्वेच्छा से प्रसन्नता से स्वस्य मस्तिष्क की दशा में खूब सोच समझकर
 अपनी आवश्यकता हेतु एवम् वर्तमान बाजारी मूल्य पर इस सम्पत्ति को इससे सम्बन्धित समस्त स्वत्व अधिकारों एवम् हितों
 सहित बिना कोई विषय सुरक्षित रखे, संलग्न स्टाम्प पर प्रतिफल के बदले में (क्रेता) द्वितीय पक्ष को विक्रय कर दिया अथ
 इस सम्पत्ति से (विक्रेता) प्रथम पक्ष अथवा उसके किसी उत्तराधिकारियों का कोई यास्ता ताल्लुक किसी प्रकार का नहीं
 रहा है और न भविष्य में होगा विक्रीत सम्पत्ति से प्रथम पक्ष विक्रेता ने अपना स्वामित्व व आधिपत्य हटाकर द्वितीय पक्ष
 क्रेता का स्वामित्व व आधिपत्य कर दिया इस प्रकार बदल कच्चा अमल में आया अथ यदि (विक्रेता) प्रथम पक्ष स्वत्व,
 अधिकार के अभाव या त्रुटि के कारण या किसी भागीदार के उत्पन्न होने या किसी अन्य कारण से विक्रीत सम्पत्ति का कुल
 या उसके अंश (क्रेता) द्वितीय पक्ष को अधिकार से निकल जावे या उस पर (क्रेता) द्वितीय पक्ष को अधिकार न मिले या
 फिरती धार, जिसका स्पष्ट अलेख (विक्रेता) प्रथम पक्ष ने न किया हो (क्रेता) द्वितीय पक्ष को चुकता करना पड़े, ऐसी
 समस्त दशाओं में (क्रेता) द्वितीय पक्ष को अधिकार होगा कि कच्चा खर्च या अदालत द्वारा ले लेवे और अपनी हानि तथा
 व्यय भार सब मय इर्जा खर्च अदालत (विक्रेता) प्रथम पक्ष व उसके उत्तराधिकारियों की जात व जायदाद से जिरा प्रकार
 चाहे वसूल कर ले (विक्रेता) प्रथम पक्ष व उसके उत्तराधिकारियों को कोई आपत्ति न होगी।

Guzal Khan Mehru (N Hanam)

102

इस विक्रय पत्र के सम्बन्ध में (विक्रोत) प्रथम पक्ष में प्रतिकूल इस प्रकार प्राथ किया गया है। कि रुपये

हस्त धन देखा जा चुका है।

निष्पादन के फोटो

गधादान की जालदार महसूस आत्म स्टोरेज

ने प्रमाणित किया है।

आतः यह विक्रय पत्र लिख दिया कि सन्द हो चला जल्दत काय आये। इति

परिशिष्ट

विक्रोत सम्पत्ति स्थित

ग्राम चाखुर त्ता, तल्लीन हानपुर

जिला अरीहा

विक्रोत क्षेत्रफल

0-510 हे०

विरस्त विवरण

गाटा सं० 1020 मि० रकबा 2-760 हे० में से 0-510 हे० बन्दर अनानुस भाग हान-ता० 10-20 ह० स्थित तीरिप है। उक्त नम्बर में सबोसि कीमा 20000/= रू० व 50 फेड बीघम उ० 05 वर्ष कीमा 1500/= रू० प्रति फेड से 75000/= रू० व 125 फेड आम व 03 फेड नीम व 50 फेड अरुद व 25 फेड जानुन उ० 08 वर्ष बिना बन्दार कीमा 1500/= रू० प्रति फेड से 304500/= रू० कुल कीमत 399500/= रू० नानुस विपिगत भानानुसार स्टाम्पअदाय्या है। विपिगत भूमि वृषि भूमि है जिसे ज़ेता ने वृषि प्रयोक्ता की कृप नी है वृषि ज़ेता मोहता है इतिर स्टाम्प 10 लाख रू० कीमा तक 04 प्रतिशत व जेबा 745000/= रू० की मातक पर 05 प्रतिशत की अन्तेअदाय्या है।

पक्ष नं० 4424



[Signature]



द्वितीय पक्ष

(Nhanam)

गवाह: 1= आदाय जा पुल्ली राहत जा,
नि० मोकोट गदी, हतनपुर।

[Signature]

2= कलीमजन्वार पुली अनवारअम्द
नि० मोकोट वन, हतनपुर।

[Signature]



द्राफ्टकार :- महसूस आत्म स्टोरेज तल्लीन हानपुर। *[Signature]*
टाईपकार :- अंशु अजात तान 015 तल्लीन हानपुर। *[Signature]*

[Handwritten mark]

